अनुसूची १४ – फारम संख्या ५६५
बोर्ड फारम सं० ५०८

The Court of the Addl. Collector at Dumka

(स्थायी रूप से रक्षणीय)

(बोर्ड के आदेश सं० ४११६ वो ता० १२-८-११ में अनुमोदित)

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण

(देखें नियम १२७ अभिलेख - हस्तक, १६११)

(पहला पन्ना) A.C.s Court विभाग Dumka

केश सं० R.M.A 08 वर्ष 11-12 रजिस्टर सं० ....

स्टेट .... परगना .... तौजी सं० ....

अर्जीकार Parsuram yadav. -vs- प्रतिपक्षी State

अधिनियम .... सं० .... वर्ष .... के अधीन

निर्णय की ता० 6/9/17 अभिलेखागार में प्राप्त होने को ता० ....

क्रम संख्या	कागज का वर्णन	किस ता० को फाईल किया गया	पन्नों की संख्या	स्टाम्पों का मूल्य	कागज की श्रेणी	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६	७
1-12	– order sheet –		12		A+B	
13-20	- Memo of appeal with C.C of L.C order.		8	5:00		
21-26	- Written arguments —		6	5:00		
27-30	Documents with list. —		4.	/		
31-	— vakalat nama —		1	5:00		
32-	— D.F —		1	5:00		
33-38	— other Petitions —		6	25:00		
39-78	— Hazri —		40			
			78	45:00		

अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, दुमका।

रे०मि० अपील सं० 08/11-12

परशुराम यादव एवं अन्य......................अपीलकर्त्ता।

बनाम

सरकार...उत्तरकारी।

।।आदेश।।

06-09-2017 प्रस्तुत रे०मि० वाद सं० 08/11-12 परशुराम यादव एवं अन्य सा०, शितलपुर थाना तालझारी अंचल (जरमुण्डी) बनाम सरकार के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे०मि० वाद सं० 318/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 23.02.04 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा शीतलपुर के खाता सं० 3 के अन्तर्गत दाग सं० 411/A रकवा 0-2-0 (दो) कठ्ठा जमीन के साथ जमाबंदी सं० 14 के दाग सं० 95/A में रकवा 0-2-0 (दो) कठ्ठा जमीन को सं०प० कास्तकारी अधिनियम के धारा 23 के अन्तर्गत आपस में बदलेन की स्वीकृति हेतु अपीलकर्त्ताओं द्वारा निम्न न्यायालय में एस०ई० वाद सं० 18/99-2000 दायर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.07.99 को उक्त बदलेन की स्वीकृति दी गई है। तत्पश्चात् इस आदेश के आधार पर अपीलकर्त्ता द्वारा वदलेन जमीन पर बसगढ़ी करने हेतु निम्न न्यायालय में रे०मि० वाद सं० 318/2000-2001 दायर किया गया। इस पर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार कोर्ट अमीन द्वारा अपीलकर्त्ताओ को बदलेन जमीन पर बसगढ़ी का प्रतिवेदन दिया गया। एवं कोर्ट अमीन द्वारा उक्त जमीन का सीमांकन प्रतिवेदन भी समर्पित किया गया। किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ताओ के आवेदन को यह कहकर अस्वीकृत किया गया कि यह बदलेन आवेदन आदिवासी एवं गैर आदिवासी के बीच है। इसी आदेश के विरूद्ध में यह अपील दायर किया गया है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध कागज एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह मामला अपीलकर्त्ताओं को एस०ई० वाद सं० 18/1999-2000 में प्राप्त बदलेन जमीन पर बसगढ़ी से संबंधित है जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार कोर्ट अमीन द्वारा अपीलकर्त्ताओ को बसगढ़ी दिया गया एवं वाद में पुनः कोर्ट अमीन द्वारा उसी जमीन का सीमांकन भी कर दिया गया है किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा आवेदन को यह कहकर अस्वीकृत किया गया है कि यह बदलेन आवेदन आदिवासी एवं गैर आदिवासी के बीच है। जबकि अपीलकर्त्ताओ को जमीन बदलेन संबंधी आदेश पूर्व मे ही एस०ई० वाद

12

सं0 18/1999-2000 में आदेश दिनांक 23.07.1999 को पारित किया जा चुका है।

पुनः इस पर निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका सं0प0 कास्तकारी अधिनियम के धारा 23 के तहत् कार्रवाई करेंगे।

DBA1·38
16/12/17

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

06/9/17
अपर समाहर्त्ता,
दुमका।